संख्या 33/5/2009-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली – 110003, दिनांक : 10 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने या नि:शक्तता से ग्रस्त हो जाने के मामलों में विशेष प्रसुविधाएं-नि:शक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की अदायगी – अर्हक सेवा की रियायत -

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत स्वीकार्य नि:शक्तता पेंशन के मानक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के का. ज्ञा. संख्या-45/22/97-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (सी) दिनांक 3-2-2000 के पैरा 3 में निर्धारित किए गए थे | उक्त का. ज्ञा. दिनांक 3-2-2000 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के का. ज्ञा. संख्या-45/3/2008-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (एफ) दिनांक 18-11-2008 द्वारा संशोधित किया गया था |

2. इस विभाग के का. ज्ञा. संख्या-45/22/97-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (सी) दिनांक 3-2-2000 के अनुसार 'ख' एवं 'ग' श्रेणियों के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन, जिसमें सेवा अंश भी है, सीसीएस(पेंशन) नियम 1972 एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम द्वारा विनियमित होती है, जिसके अनुसार 10 वर्ष की अर्हक सेवा से कम सेवा वाले सरकारी सेवकों को सेवा उपदान ही देय होगा तथा 10 वर्ष या इससे अधिक की अर्हक सेवा वालों को पेंशन देय होगी | ऐसे नि:शक्त सरकारी सेवक जिनकी डिस्चार्ज के समय 10 वर्ष से कम अर्हक सेवा है, द्वारा उठाई गई समस्याओं पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सरकारी सेवकों, जो सरकारी सेवा से डिस्चार्ज हो गए हैं, की नि:शक्तता पेंशन निम्नानुसार विनियमित होगी :

श्रेणी 'ख' एवं 'ग' के अंतर्गत शामिल मामलों की नि:शक्तता पेंशन

(1) 100% नि:शक्तता के लिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवानिवृत्ति पेंशन (परिलब्धियों या पिछले 10 माह के दौरान औसत परिलब्धि का 50%, जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक हो) और उपदान के साथ-साथ मूल वेतन के 30% के बराबर नि:शक्तता अंश | सेवा अंश का अर्जन करने के लिए, न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी | कोई भी सेवा उपदान देय नहीं होगा | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 50 के अनुसार, उपदान के भुगतान के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा की शर्त जारी रहेगी |

(2) 100% से कम नि:शक्तता के लिए, नि:शक्तता पेंशन का नि:शक्तता अंश अनुपातिक रुप से कम कर दिया जाएगा | नि:शक्तता पेंशन के ऐसे मामलों में, जहां स्थायी नि:शक्तता 60% से कम नहीं हो नि:शक्तता पेंशन (सेवा अंश एवं नि:शक्तता अंश का योग), संगणीय परिलब्धि के 60% से कम नहीं होगी और इसकी न्यूनतम राशि 7000/- रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी |

पृष्ठ 2/-

श्रेणी 'घ' के अंतर्गत शामिल मामलों की नि:शक्तता पेंशन

1) 100% नि:शक्तता के लिए, उसके सामान्य रुप से सेवानिवृत होने की तारीख तक सेवा को शुमार करके नि:शक्तता पेंशन जिसमें सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन के बराबर सेवा अंश (परिलब्धियों या पिछले 10 माह के दौरान औसत परिलब्धियों का 50% की दर से, जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक हो) और कर्मचारी के नि:शक्त होने की तारीख को उसके वेतन के आधार पर, उपदान, जिसका कर्मचारी पात्र होता है, शामिल हो और सामान्य कुटुम्ब पेंशन की राशि के बराबर नि:शक्तता अंश, इस शर्त के अधीन शामिल हो कि सेवा और नि:शक्तता अंश दोनों मिलकर अंतिम आहरित वेतन के 80% से कम नहीं हो | सेवा अंश का अर्जन करने के लिए, न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी | कोई भी सेवा उपदान देय नहीं होगा |

2) नि:शक्तता का प्रतिशत कम होने पर, जैसा कि वर्तमान में लागू है, नि:शक्तता अंश, का. ज्ञा. दिनांक 3-2-2000 में दी गई ब्रॉड बैंडिंग की शर्त के अनुसार अनुपातिक रुप से कम कर दिया जाएगा |

श्रेणी 'ड' के अंतर्गत शामिल मामलों की नि:शक्तता पेंशन

1) सामान्य रुप से सेवानिवृत होने की तारीख तक, अर्हक सेवा को शुमार करके सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन के बराबर सेवा अंश (परिलब्धियों या पिछले 10 माह के दौरान औसत परिलब्धियों के 50% की दर से, जो भी सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभदायक हो) और कर्मचारी के नि:शक्त होने की तारीख को उसके वेतन के आधार पर उपदान, जिसका कर्मचारी पात्र होता है तथा नि:शक्तता अंश, अंतिम आहरित वेतन के बराबर देय होगा | सेवा अंश का अर्जन करने के लिए, न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी | कोई भी सेवा उपदान देय नहीं होगा |

यह शर्त कि सेवा और नि:शक्तता अंश दोनों को मिलाकर 100% नि:शक्तता के लिए अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा – 1-7-2009 से वापिस ली जाती है |

2) नि:शक्तता का प्रतिशत कम होने पर, जैसा कि वर्तमान में लागू है, नि:शक्तता अंश, का. ज्ञा. दिनांक 3-2-2000 में दी गई ब्रॉड बैंडिंग की शर्त के अनुसार अनुपातिक रुप से कम कर दिया जाएगा |

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम एवं उदारीकरण पेंशन अवार्ड योजना की अन्य निबंधन एवं शर्तें जो इन आदेशों द्वारा विशेष रुप से संशोधित नहीं किए गए हैं, पहले की तरह लागू रहेंगे |

4. ये आदेश 01-01-2006 से प्रभावी होंगे |

5. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके यू0ओ0 सं0 515/ई-V/2010 दिनांक 26-10-2010 द्वारा जारी किया जाता है |

6. यहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं |

तृप्ति घोष

(तृप्ति प. घोष)
निदेशक

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग |

प्रतिलिपि:- राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उच्चतम न्यायालय, भारतीय महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को मानक सूची के अनुसार |